CIN U01112CT2004S6C017023 http://agriportal.cg.nic.in/beejnigam

छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
(छ.ग.शासन का उपक्रम)
"मुख्यालय" बीज भवन रविग्राम तेलीबांधा जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग.)
Phone:- 0771- 4212201-228, Fax :- 0771- 4046039,4269654
E-mail : cgbkvn_homs@yahoo.co.in,

क्र./ मुख्या./बी.कृ.वि.नि./RCO-31/2022-23/ 8036 रायपुर, दिनांक– 21/10/2022

प्रति, **प्रथम प्रसारण**

जिला प्रबंधक,
रायपुर/बलौदाबाजार/दुर्ग/बेमेतरा/बालोद/राजनांदगांव/जगदलपुर/बिलासपुर/जांजगीर/रायगढ़/अम्बिकापुर/धमतरी/महासमुंद/कवर्धा/कांकेर/कोरबा/कोरिया/जशपुर/दंतेवाड़ा/मुंगेली/गरियाबंद

विषय :– **RCO-31 "Tissue Culture Plants Bamboo" वर्ष 2022-23 की क्रय–विक्रय दरे प्रसारित करने बाबत्।**

संदर्भ :– **मुख्यालय से काऊंटर ऑफर जारी दिनांक 19.10.2022**

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि निगम की ऑनलाईन आमंत्रित RCO-31 "Tissue Culture Plants Bamboo" वर्ष 2022–23 में प्राप्त प्रस्तावो के परीक्षण उपरान्त समिति की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2022–23 के लिए **प्रथम प्रसारण तिथि 21.10.2022 से** संलग्न दरे आगामी एक वर्ष **दिनांक 20.10.2023** की अवधि तक लागू रहेगी। निम्नानुसार कंपनी के क्रय–विक्रय दरे संलग्न कर प्रेषित है :–

1. **M/s Karishma Organic**
   Office Add- Baronda Bagar Mahasamund, Contact Person- Neky Navin Sahu, Mobile No.- 9179488200, Email- neky007@gmail.com

<u>आदान सामग्री प्रदाय की शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–</u>

1. **दर –** (अ) छत्तीसगढ़ प्रदेश के निविदाकर्ताओं को बेसिक रेट+जीएसटी देय **(Basic Rate+GST)** देय होगा। जीएसटी की राशि जमा करने का दायित्व निविदाकर्ता का होगा। बिल में बेसिक रेट व टैक्स पृथक–पृथक दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
   (ब) छत्तीसगढ़ प्रदेश से बाहर के निविदाकर्ता प्रदायक को HSN कोड तथा बेसिक दर एवं **IGST** पृथक–पृथक दर्शाना होगा। प्रदायक को भुगतान अनुमोदित क्रय दर पर किया जावेगा।
   (स) यदि भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा टैक्स की नीति एवं दरों में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित दरें ही मान्य होगी।
   (द) भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 1 जुलाई 2017 से **जी.एस.टी.** लागू किया गया है। जिसमें देयक का प्रारूप निर्धारित किया गया है। तदानुसार ही देयक जारी किये जावें जिसमें वस्तु एवं सेवाकर **(जीएसटी)** नम्बर HSN कोड आवश्यक रूप से अंकित किया जावें।

क्रमशः 02

2. उपरोक्त दरें एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन जो निगम/विभाग के जिला कार्यालयों एवं विकासखण्ड कार्यालय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य स्थान हो सकते है, तक रहेगी। अन्य कोई भुगतान अलग से नहीं किया जावेगा। प्रदायकर्ता द्वारा देयक में टैक्स फ्री आयटम में टैक्स फ्री के रबर स्टैम्प लगाया जाना आवश्यक होगा।
3. प्रदायक द्वारा मांग अनुसार मुख्यालय अथवा जिला कार्यालय से क्रय आदेश जारी होने पर संबंधित प्रदायकर्ता को समायावधि के भीतर निर्दिष्ट स्थान पर सामग्री प्रदाय करना होगा, अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा व संबंधित प्रदायक के विरूद्ध सुरक्षा निधि राजसात करने/काली सूची में डालने जैसी कार्यवाही की जा सकती है।
4. प्रदायक द्वारा प्रदाय की गई सामग्री के उपयोग पश्चात् अगर उसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन से कृषक को हुई हानि की सम्पूर्ण वसूली प्रदायक से की जावेगी।
5. प्रदायकर्ता को निविदा की शर्त अनुसार "प्राईज फाल क्लाज" का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि प्रदायक द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शासकीय विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/निजी संस्थान में निगम की विक्रय दरों से कम में विक्रय करता है तो वहीं दरें स्वयंमेव निगम में लागू मानी जावेंगी तथा न्यूनतम दरों पर ही भुगतान किया जावेगा।
6. प्रदायक की एम.आर.पी. किसी भी समय निगम की विक्रय दरों से कम नहीं होना चाहिए, अनुबंध की वैधता के दौरान यदि प्रदायक दरें कम करता है तो उसकी सूचना तत्काल "बीज निगम" मुख्यालय को देनी होगी, जिससे दरों में संशोधन किया जा सकें अथवा एम.आर.पी. कम पायी जाती है तो तदनुसार ही क्रय दरों की गणना की जाकर दरें कम की जा सकेगी तथा अन्तर की राशि प्रदायक के लंबित बिलों एवं सिक्यूरिटी राशि से वसूली की जावेगी।
7. प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री के जारी किये जाने वाले इन्वाईस/बिल तीन प्रतियों में जारी किये जावेंगें एवं उन पर समस्त विवरण जैसे :– क्रय आदेश क्रमांक व दिनांक, चालान व दिनांक, सीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर इत्यादि का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
8. प्रदेश के अन्दर के प्रदायकों के जीएसटी जमा करने की जवाबदारी स्वयं प्रदायक की होगी।
9. प्रदाय सामग्री के देयक का भुगतान जिला कार्यालय से सत्यापित देयक एवं क्रेता की संतुष्टि प्राप्ति उपरांत मुख्यालय से **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त के आधार पर किया जावेगा अर्थात् क्रेता विभाग को सामग्री प्रदाय करने के उपरांत इस विभाग को राशि प्राप्त होने के पश्चात् सामग्री की राशि का भुगतान किया जावेगा। यदि कम राशि प्राप्त होती है तो उसी समानुपात में भुगतान किया जावेंगा।
10. यदि किसी प्रकार के लिपिकीय त्रुटिवश प्रदायक को अधिक भुगतान होने की स्थिति में प्रदायक के अगले भुगतान में समायोजन करने/वापस प्राप्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
11. किसी भी प्रकार के न्यायालयीन/उपभोक्ता फोरम के विवाद का क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा एवं किसी भी प्रकार की क्षति के लिये कम्पनी पूर्णतः जवाबदार होगी।
12. निविदा की नियम एवं शर्तो के अनुसार आर.सी.ओ. की दरों में कमी, बढ़ोत्तरी या किसी भी फर्म की दरों को निरस्त करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
13. जारी दरें बीज निगम के कार्यालय से व्यवसाय हेतु मान्य होगी।

क्रमशः 03

14. प्रदाय आदेश जारी करते समय संबंधित प्रदायकर्ता का वैध विक्रय अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही प्रदाय आदेश जारी किया जाएगा।

कृपया उक्त **RCO-31 "Tissue Culture Plants Bamboo"** के क्रय–विक्रय दरों की जानकारी संबंधित विभाग को तत्काल उपलब्ध करावे।

संलग्न – **PURCHASE & SELLING RATE OF RCO-31 "Tissue Culture Plants Bamboo" for the year 2022-23**

//प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित//

उपमहाप्रबंधक (आर.सी.ओ.)
मुख्यालय, रायपुर

पृ.क्र./ मुख्या./बी.कृ.वि.नि./RCO-31/2022-23/ 8037 रायपुर, दिनांक 21/10/2022

प्रतिलिपी :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, जलसंसाधन, आयाकट, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छ.ग.शासन, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, अध्यक्ष/प्रबंध संचालक महोदय, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक कृषि, छ.ग.शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक उद्यान, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं इंद्रावती भवन, नया, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. उप महाप्रबंधक (आर.सी.ओ.), मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
8. महाप्रबंधक/बीज/एग्रो/गार्ड फाईल, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
9. उप संचालक कृषि, जिला .... (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
10. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान, जिला ....(समस्त) की ओर सूचनार्थ।
11. उप संचालक (वित्त), मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
12. प्रबंधक (लेखा), भुगतान शाखा, अंकेक्षण शाखा, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
13. उप प्रबंधक (वित्त एवं कर), मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. लेखा अधिकारी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. आर.सी.ओ. कक्ष, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि निगम के वेबसाईट (**http://agriportal.cg.nic.in/beejnigam**) में डालना सुनिश्चित करें।
16. प्रदायक --की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्त शर्तो/अनुबंध की शर्तो एवं निविदा की शर्तो का पालन करना होगा।

उपमहाप्रबंधक (आर.सी.ओ.)
मुख्यालय, रायपुर

C.G. RAJYA BEEJ EVAM KRISHI VIKAS NIGAM LTD.
HEAD OFFICE "BEEJ BHAWAN" TELIBANDHA RAVIGRAM RAIPUR (C.G.)

PURCHASE & SELLING RATE OF RCO-31 "TISSUE CULTURE PLANTS BAMBOO" For the Year 2022-23

Sl.No./H.O./RCO-31/2022-23/..8036-37..., Date..21/10/2022 **GST No.- 22DMJPS7474A2ZX (Karishma Organic)**

M/s Karishma Organic
Office Add- Baronda Bagar Mahasamund, Contact Person- Neky Navin Sahu
Mobile No.- 9179488200, Email- ncky007@gmail.com

S.No.	Item Code	Item Description	Unit	Basic Rate	GST	Total Purchase Rate	Nigam Margin 5%	GST On Margin	Selling Rate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Tissue Culture Plant- Bamboo (In Poly bags) Species -B. blcoa	Per Plant	37.00	Tax Free	37.00	1.85	Tax Free	38.85
2	2	Tissue Culture Plant- Bamboo (In Poly bags) Species - B.nutan	Per Plant	37.00	Tax Free	37.00	1.85	Tax Free	38.85
3	3	Tissue Culture Plant- Bamboo (In Poly bags) Species - B.tulda	Per Plant	37.00	Tax Free	37.00	1.85	Tax Free	38.85
4	4	Tissue Culture Plant- Bamboo (In Poly bags) Species - B. vulgaris	Per Plant	37.00	Tax Free	37.00	1.85	Tax Free	38.85

(आर. के. श्रीवास्तव)
उप प्रबंधक (लेखा),
मुख्यालय, रायपुर

(एल.डी.बुंदेला)
उप महाप्रबंधक
मुख्यालय, रायपुर
(वित्तीय सदस्य)

(संतोष कुमार देवांगन)
उप संचालक (वित्त),
मुख्यालय, रायपुर
(वित्तीय सदस्य)

(यशवंत केराम)
उप महाप्रबंधक (आर.सी.ओ.),
मुख्यालय, रायपुर
(वित्तीय सदस्य)

वित्तीय समिति के अनुशंसानुरूप पत्रक सही तैयार किया।

(अशोक वर्मा)
सहायक ग्रेड–02
मुख्यालय, रायपुर

(के.एन. पाणिग्राही)
उप प्रबंधक
मुख्यालय, रायपुर